हिदायतें

1. सर्वे आरम्भ करने से पूर्व आपको अलाट किए गए गॉव से सम्बन्धित शीट जिसमें परिवार का फार्म नम्बर, मुखिया का नाम, पिता/पति का नाम पहले से ही दर्ज है आपने केवल इन परिवारो की सही–सही जानकारी शीट में दिए गए कालम में भरनी है ।

2. अलाट किए गए गॉवो के सभी परिवारों का सर्वे सम्पन्न होने उपरान्त मूल सर्वे शीट व अतिरिक्त सूचना यदि कोई है तो सम्बन्धित बी.डी.पी.ओ. के पास जमा करवानी है ।

3. सर्वेक्षण कार्य के दौरान गॉव के पटवारी नम्बदार, स्कूल हैडमास्टर, ग्राम सभा एवं चौकीदार की मदद ली जाए ।

4. सर्वे कार्य आरम्भ करने से पूर्व गॉव के चौकीदार द्वारा मूनियादी करवाई जाएगी ताकि आम लोगों को इसकी जानकारी रहे ।

5. सर्वे शीट के कालम नम्बर 4 में प्रत्येक परिवार का मकान नम्बर दर्ज किया जाये तथा इस मकान की फोटो का नम्बर कालम नम्बर 13 में लिखे ।

6. परिवारों के समाजिक वर्गीकरण का ब्यौरा कालम नं. 5 में दिया जाये। अनुसूचित जाति के लिए (S),पिछड़ी जाति के (B), तथा अन्य जातियों के लिए (O) कोड भरे जायें ।

7. अल्पसंख्यक परिवारों का ब्यौरा कालम नं. 6 में दिया जाना है । मुस्लिम के लिए (M), इसाई के लिए (C), बोद्ध के लिए (D), सिख के लिए (N)) अंकित करना है ।

8. गांव के सभी परिवारों से सम्बन्धित निम्न 5 मदो पर सूचना नए सिरे से घर–घर जाकर एकत्र करनी लाजमी है :–

    क. भूमि
    ख. मकान
    ग. घरेलू उपकरणों की स्थिति
    घ. शिक्षा स्तर
    ड. आजीविका का साधन एवं रहन–सहन का स्तर

9. उपरोक्त मदो की हिदायतें इस प्रकार हैं :–

क. **भूमि** :–कालम नं0 7 व 8 में परिवार के मुखिया तथा अन्य सदस्यों के नाम आने वाली भूमि को उनके हिस्से के अनुसार दिखाया जाएगा । चाहे भूमि राजस्व रिकार्ड में उनके नाम न भी दिखाई गई हो। भूमि की तसदीक पटवारी से करवाई जाए। भूमि का आकार एकड़ एवं कनाल में शीट के

कालम नम्बर 7 में भरा जाए एवं इस मद पर अंक कालम नम्बर 8 में निम्न प्रकार से भरे जाये :–

*यदि भूमिहीन हैं तो शून्य अंक सर्वे फार्म में भरा जाना चाहिए ।

*एक एकड़ से कम असिंचित या आधा एकड़ तक सिंचित भूमि वाले परिवार को 2 अंक दिए जाएँगे ।

*एक एकड़ से 2 एकड़ असिंचित भूमि या आधा से एक एकड़ तक सिंचित भूमि वाले परिवार को 5 अंक दिए जाएँ ।

*दो एकड़ से 5 एकड़ असिंचित भूमि या एक एकड़ से ढ़ाई एकड़ तक सिंचित भूमि वाले परिवार को 7 अंक दिये जाएं ।

*पॉच एकड़ से अधिक अंसिचित भूमि या ढ़ाई एकड़ से अधिक सिंचित भूमि वाले परिवार को 10 अंक दिए जाएं ।

ख. **मकान से सम्बन्धित सूचना कालम नं 9 में निम्न प्रकार से दर्शाई जाये :–**

*यदि किसी परिवार के पास मकान नहीं है तथा बेघर है तो उसे शून्य अंक दिया जाएं ।

*यदि परिवार के पास मकान कच्चा है और मकान का निर्मित क्षेत्र 100 वर्गगज़ से कम है तो ऐसे परिवार को 1 अंक दिए जाए ।

*यदि परिवार के पास मकान कच्चा है लेकिन मकान का निर्मित क्षेत्र 100 वर्गगज़ से अधिक है तो ऐसे परिवार को 3 अंक दिए जाएं ।

*यदि परिवार के पास मकान पक्का है और मकान का निर्मित क्षेत्र 100 वर्गगज़ है तो ऐसे परिवार को 5 अंक दिए जाएं ।

*यदि परिवार के पास मकान पक्का है और उसका क्षेत्र 100 वर्गगज़ से अधिक है तो ऐसे परिवार को 10 अंक दिए जाएं ।

ग. **घरेलू उपकरणों की स्थिति बारे सूचना कालम नं 10 में भरी जायेः–**

*यदि परिवार के पास रंगीन टी0वी0, फ्रिज, रसोई गैस व कपड़े धोने की मशीन तथा मोबाइल फोन/टेलिफोन में से कोई भी उपकरण नहीं है तो उस परिवार को शून्य अंक दिया जाएं ।

*यदि परिवार के पास उपरोक्त पॉच उपकरणों में से एक या दो हों तो उसे 2 अंक दिए जाएं।

*यदि परिवार के पास तीन या सभी पॉचों उपकरण हैं तो ऐसे परिवार को 5 अंक दिए जाएं ।

*यदि परिवार के पास दो पहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन, कम्पयूटर,ए0सी0, ट्यूब वैल, पावर टिल्लर, कम्बाईन्ड थ्रैशर हार्वेस्टर में से कोई एक भी उपकरण हो तो उस परिवार को 10 अंक दिए जाएं ।

घ. शिक्षा स्तर का ब्यौरा कालम नं 11 में दिया जाये :—

*यदि किसी परिवार के सभी सदस्य अनपढ़ हैं या कोई भी सदस्य दसवीं कक्षा तक पास है तो ऐसे परिवार को शून्य अंक दिया जाएं ।

*परिवार में कोई सदस्य दसवीं कक्षा पास से उपर है लेकिन बी.ए. से कम है तो ऐसे परिवार को 2 अंक दिए जाएं ।

* परिवार में यदि कोई सदस्य बी.ए. तक पढ़ा लिखा है तो ऐसे परिवार को 3 अंक दिए जाएं ।

* यदि परिवार का कोई सदस्य बी0ए0 से अधिक शिक्षित है तो ऐसे परिवार को 5 अंक दिये जाये ।

ड0. आजीविका का साधन, रहन—सहन का स्तर, अनुमानित आय के आधार पर कालम नम्बर 12 में अंक प्रदान करें :—

*यदि किसी परिवार की आजीविका किसी भी किस्म की मजदूरी से चल रही है तो ऐसे परिवार को 0 अंक दिया जायेगा ।

*यदि परिवार अनुसूचित जाति या पिछड़ी जाति से है तथा आजीविका परम्परागत व्यवसायों पर निर्भर है तो ऐसे परिवार को 3 अंक दिए जाएं ।

*यदि किसी परिवार की आजीविका पूर्णतया खेती पर, छोटे व्यवसाय, छोटी दुकानदारी एवं गुजारे लायक व्यापार पर आधारित है तो ऐसे परिवार को पांच अंक दिये जाये ।

*यदि उपरोक्त सभी साधनों के इलावा परिवार का गुजारा, सम्पन्न व्यापार के माध्यम से, सम्पन्न किसान, सम्पन्न वेतनभोगी इत्यादि पर निर्भर है तो ऐसे परिवारों को 10 अंक दिए जाएं ।

<u>नोट :</u>

प्रत्येक फार्म पर निरीक्षक के हस्ताक्षर आवश्यक है।
प्रत्येक सर्वेयर अपना नाम, पता एवं सम्पर्क नम्बर सर्वे फार्म पर अवश्य लिखें ।

<u>घर में शौचालय की स्थिति बारे हिदायतें</u>

गॉव के सभी परिवारों के पास व्यक्तिगत शौचालयों से सम्बंधित जानकारी संलग्न प्रोफार्मा के कालम न0 15 में भरी जानी है। घर में शौचालय है या नहीं, के बारे में सम्बंधित सूचना एकत्र करने बारे निम्नलिखित कोड बनाए गये हैं :–

		कोड संख्या
1.	यदि घर में शौचालय नहीं है –	0
2.	यदि घर में शुष्क शौचालय है –	1
3.	यदि घर में लीचपीट/सेप्टिक टैंक शौचालय है–	2

फार्म में सूचना भरते समय उपरोक्त कोड का प्रयोग किया जाना है।

<u>व्याख्या</u>:–

1. **शौचालय नहीं है –** इसका तात्पर्य है कि परिवार के पास शौच जाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है तथा परिवार के सभी लोग खुले में शौच जाते हैं। सर्वेक्षण फार्म भरते समय इस प्रकार की स्थिति में 0 कोड का प्रयोग किया जाना है।
2. **शुष्क शौचालय–** शुष्क शौचालय उसे कहते हैं जिसमें मानव मल के सुरक्षित ढंग (स्वतः)ठिकाने लगाने की प्रक्रिया नहीं है तथा मानव मल को व्यक्तिगत तौर से उठा कर बाहर ले जाया जाता है। इस प्रकार की स्थिति में कोड संख्या 1 का प्रयोग किया जाना है।
3. **लीचपीट/ सेप्टिक टैंक वाला शौचालय–** इस का अर्थ है कि गड्डे का निर्माण ईंट या पत्थर इत्यादि से जालीदार (हनीकोम्ब) ढंग से किया गया है या फिर पक्के गड्डे का निर्माण किया हुआ है । इन दोनों स्थितियों में कोड संख्या 2 का प्रयोग किया जाना है।

[wahi/Bpl-2007/final-instruction-2007.doc]